न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
28 / 2015 प्रा.पत्र / 2015	30.03.2015	14.08.2025

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री विरेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री रतन लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर बंबोर गेट पुरानी टोंक जिला टोंक निवासी मौहल्ला अहीरा पुरानी टोंक जिला टोंक राज.
2–मैसर्स जैन प्रोविजनल स्टोर बंबोर गेट पुरानी टोंक जिला टोंक
3–श्रीमति कान्ता जैन प्रोपरायटर मैसर्स गेन्दी लाल रोड मल जैन नसियां के पास गुलजार बाग टोंक
4–मैसर्स गेन्दी लाल रोड मल जैन नसियां के पास गुलजार बाग टोंक।
5–श्री ललित हुण्डिया प्रोपरायटर मैसर्स मरूधर सेल्स कॉरपोरेशन निवासी 50 केशव पथ सूरज नगर वेस्ट सिविल लाईन जयपुर।
6–मैसर्स मरूधर सेल्स कॉरपोरेशन ए–77 राजधानी मंडी यार्ड सीकर रोड जयपुर
7–श्री अरूण कुमार नॉमिनी मैसर्स इण्डोदान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बुढाना रोड मुजफ्फनगर (उ.प्र.)
8–मैसर्स इण्डोदान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बुढाना रोड मुजफ्फनगर (उ.प्र.)

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री विक्रम जैन
अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 व 4 श्री अनुराग जैन
अभिभाषक अप्रार्थी सं. 7 व 8 श्री तेजमल जैन उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 14/8/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.11.2013 को समय 01:45 पी.एम. पर मैसर्स जैन प्रोविजनल स्टोर बंबोर गेट पुरानी टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री विरेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री रतन लाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जैन प्रोविजनल स्टोर बंबोर गेट पुरानी टोंक जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला। श्री विरेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री रतन लाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विरेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री रतन लाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, कन्फैक्शनरी बिस्किट, मसाले, नमकीन आदि व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ कागज के गत्ते के डिब्बे में 449–449 ग्राम के आठ सील पैक व 1 किलोग्राम के 3 पैकेट **घी इण्डाना ब्राण्ड** आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री विरेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री रतन लाल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री विरेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री रतन लाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी इण्डाना ब्राण्ड** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 449–449 ग्राम के 4 नग मूल पैक हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी इण्डाना ब्राण्ड** 449–449 ग्राम के 4 नग मूल पैक में से ज्यों का त्यों 1–1 पैक के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–663 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–663 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री विरेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री रतन लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर बंबोर गेट पुरानी टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स गेन्दी लाल रोड मल जैन नसियां के पास गुलजार बाग टोंक का वारन्टी बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स गेन्दी लाल रोड मल जैन से सम्पर्क करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स मरूधर सेल्स कॉरपोरेशन ए–77 राजधानी मंडी यार्ड सीकर रोड जयपुर का एवं मैसर्स मरूधर सेल्स ने मैसर्स इण्डोदान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बुढाना रोड मुजफ्फनगर (उ.प्र.) का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक 047 दिनांक 03.01.14 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल.एस./751/एक्ट/एफएसएसए/2013/765 दिनांक 11.12.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

घी इण्डाना ब्राण्ड खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा इसके लेबल पर सभी आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित है। मात्र कुछ मानकों को पूरा नहीं करने के कारण उक्त नमूना अवमानक स्तर स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी इण्डाना ब्राण्ड** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एव बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी इण्डाना ब्राण्ड** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 6 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 7 व 8 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/8/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सांकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक